(14)

**न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0**

निगरानी कमांक नि-1488-I-16 सन् 2016

हल्के तनय पूरन पाल निवासी ग्राम कितपुरा
तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0.................................आवेदक ।

बनाम

1. सियाराम तनय भावानीदीन पाल
2. बच्चू तनय जगदेव पाल दोनो निवासी
   ग्राम कितपुरा तहसील चंदला जिला छतरपुर म0प्र0..........अनावेदकगण

**निगरानी अंतगर्त धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं01959**

**निगरानी आदेश विरूद्ध श्रीमान तहसीलदार महोदय चंदला के रा0प्र0क0111/अ-6अ /2014-15 आदेश दिनांक 02/03/2016 से दुखी होकर**

श्रीमान जी ,

सेवा मे आवेदक निम्न विषायांकित निगरानी प्रस्तुत करता है-

1. यह कि निगरानी प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार की भूमि आराजी नं0 263/2 रकवा 3.518 हे0 स्थित मौजा कितपुरा की भूमि पूर्व मे म0प्र0 शासन की भूमि थी। जिस पर आवेदक का 40 वर्षो से लगातार कब्जा चला आ रहा है। और आज भी है। जिस पर फर्जी पट्टा दखिल तहित विषेश उपबंद 1984 के तहित रा0प्र0कमांक 316-अ-19 (4) वर्ष 1989-1990 से पारित दिनांक 06/07/90 के आधार पर एक आवेदन पत्र श्रीमान नायब तहसीलदार मण्डल बछौन तहसील लौडी के समक्ष प्रस्तुत किया और रिकार्ड मे अमल कराने का अनुरोध किया नायब तहसीलदार मण्डल बछौन ने बगैर आवेदक को सूचना दिऐ है। बगैर इस्तहार का प्रकाशन किए तथा बगैर प्र0कमांक 316-अ-19 (4) 1989-90 की दायरा पंची की बगैर जाच किये प्रकरण पंची कर राजस्व प्र0कमांक 58/अ/6 अ 95-96 पर आदेश दिनांक 15/10/1996 को म0प्र0शासन की भूमि को फर्जी पट्टे के आधार पर पटवारी राजस्व अभिलेख मे अमल करने का आदेश पारित किया गया। इसके बाद जब आवेदक को जानकारी प्राप्त हुई तब आवेदक ने एक आवेदन पत्र तहसीलदार महोदय चंदला के न्यायालय मे प्रस्तुत किया जिसको पंजी बंध कर अनावेदकगणो को जारिऐ नोटिस किया गया इसके पश्चात अनावेदकगणो ने एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । कि आवेदक हल्के का आवेदन पत्र प्रचलनशीलता के अनुसार इस न्यायालय मे चलने योग्य नही है। जिसका जबाब आवेदक ने प्रस्तुत किया इसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा

निगरानी / सियाराम

P

XXIX(a)-BR(H)-11

(4)

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

2

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

(329) प्रकरण क्रमांक - R14881/2016 जिला - छतरपुर

| स्थान एवं दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 22-2-18 | आवेदक अधिवक्ता पूर्ववत् उपस्थित। अनावेदक सूचित हों। रिकॉर्ड की मांग करें।<br><br>C.F. 15-6-18 | |
| 15-6-18 | आवेदक अभि॰ श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी व अना॰ अभि॰ श्री मुकेश भार्गव उप॰<br>प्रकरण तर्क हेतु।<br><br>दि- 23-8-18 सा॰<br><br>मा॰स॰ | 23.8.18 |
| 23.8.18<br><br>FO | – आवेदक अभि॰ श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। अनावेदक अभि॰ श्री मुकेश भार्गव अभि॰ उपस्थित।<br>– अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पंजिका दिनांक 2/3/16 का अवलोकन किया गया। जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अनावेदक सियाराम आदि का धारा 32 का आवेदन स्वीकार कर आवेदक को भी सुनकर आदेश पारित किये जाने के आदेश है। | |

अतः अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। निगरानी अस्वीकार (Reject) की जाती है।

23.8.18